

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक:- स.19-2(1)स्था/राजपत्रित/अभि/2023/04370 part file(1) जयपुर,दिनांक:-

**-:आदेश:-**

राज्य सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 व 09.12.2017, एफ.14(88) एफ.डी.(नियम) 2008 दिनांक 12.01.2018 एवं एफ.15(1) वित्त/नियम/2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 के अनुसरण में निम्न अभियोजन अधिकारियों को जिन्होंने 18 वर्ष एवं 27 वर्ष की निरन्तर राजकीय सेवा संतोषजनक पूर्ण कर ली है, उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक से द्वितीय/तृतीय Modified Assured Career Progression (एम.ए.सी.पी) में पै मैट्रिक्स लेवल एल-15 एवं एल-18 में एतद्द्वारा स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	नाम व पद	प्रथम नियुक्ति तिथि व पद	राज्य सेवा में सेवा अवधि पूर्ण वर्षों में	वर्तमान में प्राप्त पै मैट्रिक्स लेवल संख्या	एम.ए.सी.पी. में देय पै मैट्रिक्स लेवल संख्या मय दिनांक	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री अरविन्द लक्षकार, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
2.	श्रीमती अनिता मीणा, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
3.	श्री आवेश सिंह, सहायक निदेशक अभियोजन	30.04.1996 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	27	एल-15	30.04.2023 एल-18	01.07.2023
4.	श्री बलराम मीना, अभियोजन अधिकारी	13.02.2006 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	13.02.2024 एल-15	01.07.2024
5.	श्री भरत कुमार, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
6.	श्री भवानी सिंह भाटी, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023

7.	श्री दौलतराम पंवार, अभियोजन अधिकारी	13.02.2006 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	13.02.2024 एल-15	01.07.2024
8.	श्री दिनेश कुमार खडियां, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
9.	श्री हेमन्त कुमार सिंधी, उप निदेशक अभियोजन	10.05.1995 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	27	एल-15	01.04.2023 एल-18	01.07.2023
10.	श्री जीतमल मीणा, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
11.	श्री लालचंद कासोटिया, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
12.	श्री महावीर मीणा, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
13.	श्री मानसिंह मीणा, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
14.	श्रीमती माया खडोलियां, सहायक निदेशक अभियोजन	17.02.1999 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
15.	श्री मुकेश कुमार पालीवाल, अभियोजन अधिकारी	13.02.2006 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	13.02.2024 एल-15	01.07.2024
16.	श्रीमती निलीमा शर्मा, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
17.	श्री ओमप्रकाश प्रजापत, अभियोजन अधिकारी	13.02.2006 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	13.02.2024 एल-15	01.07.2024
18.	श्री प्रहलाद बाजियां, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023

19.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
20.	श्री रामलाल सैनी, सहायक निदेशक अभियोजन	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
21.	श्री सलीम खान, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023
22.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद मीणा, अभियोजन अधिकारी	31.10.2003 सहायक लोक अभियोजक द्वितीय	18	एल-12	01.04.2023 एल-15	01.07.2023

उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 व अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित अभियोजन अधिकारी की सेवा पुस्तिका में की जावे। यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित अभियोजन अधिकारी एम.ए.सी.पी. लिये जाने की तिथि को पुनरिक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

**(रवि शर्मा)**  
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. निदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
2. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
3. संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन/अभियोजन अधिकारी द्वारा संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)